बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

::आदेश::

सं0सं0–9/आ०–06–39/2024(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–.....................................

डॉ० राखी, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राघोपुर, खरीक, भागलपुर के विरूद्ध वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए पदस्थापित स्थान पर योगदान नहीं करने एवं दिनांक–05.07.2023 से 23.08.2024 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय ज्ञापांक संख्या–596(9) दिनांक–04.062025 द्वारा आरोप पत्र गठित कर बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

2. आरोप पत्र में गठित आरोप के आलोक में डॉ० राखी द्वारा अपना अभिकथन समर्पित कर अवगत कराया गया कि मई 2023 से रीढ़ में असहनीय दर्द के कारण वे स्वंय के चिकित्सा के क्रम में अनुपस्थित थी तथा उनके द्वारा दिनांक–05.07.2023 से 09.07.2023 तक अवकाश में रहने का आवेदन समर्पित किया गया। इसी क्रम में डॉ० राखी दिनांक–09.03.2024 को Infertility (बांझपन) का ईलाज करवाने काशीपुर, (उत्तराखंड) चली गयी थी। उनके द्वारा स्वस्थ होने के उपरांत दिनांक–24.08.2024 को सिविल सर्जन, भागलपुर के समक्ष योगदान समर्पित किया गया। पुनः डॉ० राखी दिनांक–09.09.2024 को अपना ईलाज करवाने चली गयी। इस क्रम में वह लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है। उनका दिनांक–06.07.2025 को Max hospital, गाजियाबाद में प्रसव हुआ एवं डॉ० राखी अपने बच्चे के देखभाल में लगी है। डॉ० राखी द्वारा अपने पूर्व के पद पर योगदान करने का अनुरोध किया गया।

3. डॉ० राखी द्वारा योगदान करने हेतु किये गये अनुरोध के समीक्षोपरांत डॉ० राखी का आवेदन स्वीकार करते हुए पूर्व के पदस्थापित स्थान पर योगदान कराने का निर्णय लिया गया है।

4. सिविल सर्जन, भागलपुर को निदेशित किया जाता है कि डॉ० राखी को निर्गत आदेश के आलोक में योगदान स्वीकार करते हुए उन्हें पूर्व के पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कराया जाय। डॉ० राखी के योगदान करने की सूचना अविलंब विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

5. डॉ० राखी, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राघोपुर, खरीक, भागलपुर के विरूद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति अवधि के लिए विभागीय ज्ञापान सं०–596(9) दिनांक–04.06.2025 द्वारा गठित ओराप के आलोक में विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

6. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–9/आ०–06–39/2024(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–.........................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एव ह0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव।

20/01/2026

(15)

Email **ज्ञापांक–9/आ०–06–39/2024(स्वा0) 115(9) / पटना, दिनांकः– 20.01.26**

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर/सिविल सर्जन, भागलपुर को निदेशित किया जाता है कि डॉ० राखी के कर्त्तव्य पर योगदान करने से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपिः– डॉ० राखी, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राघोपुर, खरीक, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

20/01/2026

सरकार के अवर सचिव।